F13/462/15/1/25 16413 विषय: - 41/201 Shtig 10 P (1229) 15-47 #18+45 उच्चीस-२ सचिवालय इंक्लिम्यानं सेवानं सेवानं पावप्रेमें वाक्ष्रानं वाक्ष् 3 HTTAI 1966 71 9 211 (47 00 81-4) स्व एक्ट न कामिकियीन आदेश दिलांक 2/1/2016 द्वारा Ac उमरिया की बर नियुक्त किया ग्रामा है। क्रायम के ०८० की मिलतार्थ 4-2-10 वि:प्रको अतिरक्षण कारेग हैं। काटल निवरिया हव माग के का किरिया 5000 21-2-16 विश्वक्रमुची-19-6-15-20,000.

26 IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Pro 1. 1612717015

WP/16413/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur On Merit / IR Fixed for 23-11-2015 WP-DA-3 Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh, Thr. Principal Secretary Ministry Of Tribal Welfare Department Vallabh Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 09-10-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 16413/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Mohd. Islam Khan has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/16413/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 23-11-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

कमांक / स्था07 / बी / 8660 / 2015 / 2) \

भोपाल, दिनांक 211116

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 16413/15 मो. इस्लाम खान, से.नि.हेडमास्टर, जिला उमरिया विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्यांण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास उमरिया (म०प्र०) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते है । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा । 2.

वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी 3. देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा । 4.

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन /उत्तर तैयार करवाएगा । 5. 6

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।

- (ख) प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप । (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत ा रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है । कि साम कार्या है कि सम्बन्धन विधि और विवादी कार्य
- (घ) प्रकरण के विश्वद्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमे वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।

- जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को स्चित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन
- अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये 9. जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी 10. सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त इहोता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी 11. देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रमारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये । प्रकारी त्रिक करने जो एक आह्म ।! प्रकारी क्षेत्रकों की एक सुन्ने किने करने सकत प्रकार पंचित्र किन्ने किन्ने किन्ने

कार के वहीं को दर्शनित विभिन्नाता स्थानित है है है कि नहीं के दिन कि निता पता सब विधि दिन्दी को शाहित प्रकृत तथा प्राप्ती प्राप्तीय प्रति प्राप्त करने के दिले एकी दिल या आवानी प्राप्ती विवस ने आदेवन

अपनी विवोर्ट को पान निर्माष्ट्रभाविक की प्रमाणिक होते उत्तर प्रात्मकीय अधिवादात की पाप आपनी कार्यमाडी कि वे

प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए 12 उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।

प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट 13. विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों 14. में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें। 15.

प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च / उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील / रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति

मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अवधि में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।

पृष्ठांकन/स्था.7/बी/8660/2015/212 प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 2/1/16

महाधिवक्ता जबलपुर म0प्र0।

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म०प्र०।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म०प्र०। 3

कलेक्टर, उमरिया म०प्र०।

- संभागीय उपायुक्त/नोडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, 5 शहडोल / जबलपुर म०प्र०।
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास उमरिया (म०प्र०) प्रभारी अधिकारी की ओर 6 अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपॉट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिय। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से मेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।

प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना शाखा, मुख्यालय भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आक्श्यक कार्यवाही हेत्।

THE CALL PROPERTY AND AND AN ARCHITECTURE AND ARCHITECTUR नवार के हैं है है कि साम कि है कि साम कि है कि साम कि है है कि साम क

आदिवासी विकास